

Particulars		₹/Rs.	₹/Amount	₹/Total
Coin				
Note (with details)				
Cheque (with details)				
Banks Cheq. No. BN/21 32654				
Dt. 10/11/2007				
			4,500/-	4,500/-

नोट : 1. राशियों का प्रमाण दे गये ₹ 500/- से कम की राशि के लिए सिर्फ चेक/नोट की ही प्रमाण देना है, चेक/नोट की राशि का प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।
2. सर्विस पोस्टेज स्टाम्प देना आवश्यक नहीं है।
3. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।
4. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।
5. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।

Notes : 1. In the case of payment of the Treasury receipt, for same less than Rs. 500/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasury Receipt for cash and cheques paid for service postage stamps should be given in Form T.R. 5.
2. Particulars of money tendered should be given below.
3. सर्विस पोस्टेज स्टाम्प देना आवश्यक नहीं है।
4. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।
5. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।

3. सर्विस पोस्टेज स्टाम्प देना आवश्यक नहीं है।
4. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।
5. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।

3. सर्विस पोस्टेज स्टाम्प देना आवश्यक नहीं है।
4. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।
5. नोट पर चेक के लिए नगद की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है।

Daily Sheet.

filled in by the Treasury Officer, or the Accountant-General, as the case may be on receipt of the Banks

3. In case where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Accounts" will be